FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

ओगाराम बनाम अन्नाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रास्ता प्रार्थना पत्र नं 56/2022 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/2/22	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 16/03/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
16/03/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है इन्तजार होकर पत्रावली वाईस्ते दिनांक - 28/03/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
28/03/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये 30 दिन से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है जिनकी ओर से कोई अधिवक्ता या अभिभावक या वो स्वयं कोई उपस्थित नहीं हुआ, न्यायालय समक्ष तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सेरा सेढ आये हुए है। खेतों के मध्य जो पुरानी मेढ व डोल आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत की सीमाओं को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु पत्थरकनी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पत्थरकनी आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरकनी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पत्थरकंनी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू-अभिलेख निरिक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्थरकनी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2022 / 265

दिनांकः– 28/03/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. जोगाराम पुत्र भीखाराम वगैरा 3, जाति जाट, निवासी करणीपुरा चक चारणेत, पटवार मण्डल नौसर, तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. दानाराम पुत्र हीराराम वगैरा 25, जाति जाट, निवासी करणीपुरा चक चारणोत, पटवार मण्डल नौसर, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 56 / 2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – करणीपुरा चक चारणेत, पटवार हल्का – नौसर, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 26 रकबा 8.6644 हेक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO)
(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2022 / 266 to 270

दिनांकः– 28/03/2022

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का नौसर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री जोगाराम पुत्र भीखाराम वगैरा 3,
4. विप्रार्थी श्री दानाराम पुत्र हीराराम वगैरा 25,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु